**के विरुद्ध करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय नियम के अधीन आवेदनपत्र**

**राजस्थान उच्च न्यायालय में केवियट का प्ररूप**

**राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर**

..................... सं ........................ सन् .

**बनाम**

योर लार्डशिप यह कृपा करें।

योर लार्डशिप विनम्र आवेदक राजस्थान उच्च न्यायालय नियम के नियम 159 के अधीन केवियट करना चाहता है और मामले में आवेदकों के सुने जाने तक कोई बात न की जाय। अपील | पुनरीक्षण की विशिष्टयाँ जिनके दाखिल किया जाने की संभावना है, नीचे दी जाती है

अपील निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी के द्वारा दाखिल की जा सकेगी।

1. ..........

2. ..........

3 ..........

यह कि अपील (निम्नलिखित) के विरुद्ध दाखिल किया जाने की संभावना है

1. ..........

2. ..........

3 ..........

यह कि निर्णय जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण/अपील दाखिल की जाती है, .................... की न्यायालय दिनांकित ................... से है।

यह कि अपील/पुनरीक्षण जिसको दाखिल किया जाना है ................... होगा।

यह कि श्री .................. की ओर से वकालतनामा इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है।

अतएव, यह विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि कुछ भी नहीं आवेदकों के सुने जाने तक मामले में किया जाय।

यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**स्थान :**

**तारीख :**

**याची**

**जरिये**

**अधिवक्ता**